भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4190
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

चेक बाउंस के लंबित मामले

4190. श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) देश भर के विभिन्न न्यायालयों में चेक बाउंस के कितने मामले लंबित हैं,

(ख) क्या ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक पृथक श्रेणी बनाई गई है और उक्त मामलों पर ध्यान देने तथा इनके त्वरित निपटान के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है/बनाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है और उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश भर में परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन लंबित मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा **उपाबंध-1** पर है।

(ख) से (घ) : चेक अनादरण के मामलों का निपटान परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन किया जाता है। न्यायालयों में मामलों का निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंदों की उपलब्धता, अंत:वर्लित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों जैसे बार, अनुसंधान अभिकरणों, गवाहों और वादियों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है। मामलों के निपटान में देरी के अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा विहित समय सीमा का अभाव, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की मानीटरी, ट्रैक और समूहीकरण के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव सम्मिलित है।

भारतीय बैंक संघ ने अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ मिलकर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (डब्ल्यू.पी. (सिविल) संख्या 2013 का 18) दायर की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) की धारा 143 के अधीन विहित संक्षिप्त प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय से समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत/निदेश जारी करने की मांग की गई थी। इस मामले का निर्णय करते हुए, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों के निपटान के लिए सभी दाण्डिक न्यायालयों को विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं।

स्वप्रेरणा से दायर याचिका (सीआरएल) संख्या 2/2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन मामलों के निपटान में देरी पर विचार किया, जो सभी स्तरों पर न्यायालयों, विशिष्टतया विचारण न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में गतिरोध पैदा कर रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 10.03.2021 के आदेश के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन मामलों के शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए उठाए जाने वाले कदमों को विनिदिष्ट करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से एक 10-सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया था।

समिति ने अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय को सौंप दी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उसने नए सिरे से विशेष परक्राम्य लिखत न्यायालय के गठन का भी सुझाव दिया। मामले के न्याय मित्र ने सबसे अधिक लंबित मामलों वाले 5 राज्यों (अर्थात् महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश) के 5 न्यायिक जिलों में एक पायलट अध्ययन का सुझाव दिया ताकि पायलट अध्ययन के परिणामों के आधार पर स्कीम की व्यवहार्यता की परीक्षा की जा सके। इसके पश्चात्, तारीख 19.05.2022 के अपने आदेश के माध्यम से, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि पायलट अध्ययन उक्त आदेश में उपदर्शित रीति से 01.09.2022 से 31.08.2023 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा। यह कुल 25 विशेष न्यायालयों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5 न्यायिक जिलों में से प्रत्येक में एक विशेष न्यायालय होगा, जिन्हें ऊपर उल्लिखित पांच उच्च न्यायालयों में से प्रत्येक द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों की सबसे अधिक लंबित मामले वाले के रूप में पहचाना गया है ।

****

उपाबंध-1

"चेक बाउंस के लंबित मामले" से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं .4190 जिसका उत्तर तारीख 19.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क)के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

18.12.2024 को देश भर में परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन मामलों की संख्या

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**लंबित मामले**
1	राजस्थान	641898
2	महाराष्ट्र	589836
3	गुजरात	473236
4	दिल्ली	454653
5	उत्तर प्रदेश	376298
6	पश्चिमी बंगाल	286191
7	हरियाणा	240843
8	मध्य प्रदेश	192120
9	तमिलनाडु	151932
10	पंजाब	150357
11	कर्नाटक	126640
12	केरल	120251
13	छत्तीसगढ़	66446
14	ओडिशा	63868
15	आन्ध्र प्रदेश	61669
16	हिमाचल प्रदेश	56613
17	बिहार	53247
18	तेलंगाना	49853
19	उत्तराखंड	48216
20	झारखंड	35646
21	चंडीगढ़	25437
22	असम	21394
23	गोवा	11314
24	पुडुचेरी	6035
25	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	1417
26	त्रिपुरा	409
27	अरुणाचल प्रदेश	64
28	सिक्किम	20
29	नागालैंड	16
30	लक्षद्वीप	13
	कुल	**4305932**

स्रोत:- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल पर तारीख 18.12.2024 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रिपोर्ट।

****